



सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 785 का नवीकरण / Renewal of Type Approval No.785

विषय/Sub: सिलिकोन बेस रबड़ काम्पाउंड एसएच 70+5/ Silicone Base Rubber Compound SH 70+5

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश एचएम-4924, (एनएफएल-17-101ए-50 डी7), (एमएसआरआर 9492) हेतु मेसर्स वीके रबड़ प्रोडक्ट्स, मुंबई -400 093, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "सिलिकोन बेस रबड़ काम्पाउंड- एसएच 70+5" को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-785, दिनांक 23 दिसंबर 1996, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.785 जारी किया गया था तदुपरांत पत्र संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/ टीए-785-3आर दिनांक 30 जनवरी 2008 द्वारा नवीकरण किया गया था जो कि 31 दिसम्बर 2012 तक वैध था।

This is to state that the "Silicone Base Rubber Compound SH 70+5" to specifications HM-4924, (NFL-17-101A-50 D7), (MSRR 9492), developed & manufactured by M/s Veekay Rubber Products, Mumbai-400 093, has been issued with Type Approval No.785 vide letter No. CEMILAC/5070/TA-785, dated 23rd Dec 1996, and was subsequently renewed vide letter ref No. CEMILAC/5070/TA-785-3R dated 30th Jan 2008 and was valid up to 31st Dec 2012.


यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा यह 31 दिसंबर 2017 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने की तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए, उत्पादित मात्रा एवं अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (एफ एंड एफ -एफ ओ एल), द्वारा एच ए एल (एफ एंड एफ), बेंगलूरु-560017 से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 01st Jan 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2017, unless and otherwise suspend, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), C/o HAL (F&F), Bengaluru-560017, three months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejection if any and its cause. All other conditions stipulated in the type approval letter remain unaltered.

सं./ No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टीए/TA-785/4R

दिनांक/ Date: 07 Jan 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(डॉ.के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
विशिष्ट वैज्ञानिक/ Distinguish Scientist
मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)

